रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012025-260597
CG-DL-E-29012025-260597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946
No. 80]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.119.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 और धारा 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017) के विनियम 3 के उप-विनियम (4) के परन्तुक में "ऐसी अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्;-

"ऐसी अवधि, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष संहिता के अधीन प्रक्रिया से संबंधित समस्त कार्यवाहियों के बन्द किए जाने की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./937/2024-25]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 4 सं. 461, तारीख 7 दिसम्बर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी./21, तारीख 7 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत से राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 4, सं. 304, तारीख 14 जून, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.086, तारीख 14 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2024-25/GN/REG119.—In exercise of the powers conferred under sections 196, 217 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017, in regulation 3, in sub-regulation (4), in the proviso, for the figure and word "30 days", the following words shall be substituted, namely: -

"thirty days from the date of closure of all proceedings related to the process under the Code before the Adjudicating Authority, the Appellate Authority, the High Court, or the Supreme Court, as the case may be"

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./937/2024-25]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017 were published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/21 dated 06th December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 461 dated 07th December, 2017 and were last amended by the IBBI (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2022 published *vide* Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG086, dated the 14th June 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 304 on 14th June 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.29 21:14:35 +05'30'